न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़, जयपुर
बइजलास श्री नरेन्द्र कुमार मीना R.A.S.

मिसल नं0 08/18

1- भगवान्या पुत्र नानगा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी साईवाड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

.......प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री महेश शर्माः—वकील प्रार्थी

आवेदन बाबत नक्शा तरमीम दुरूस्तीकरण
अन्तर्गत धारा 131,132,136 एल0आर0एक्ट
—:निर्णयः—

दिनांक 15/02/2019

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकरण भू—राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जाकर कथन किया गया कि ग्राम चक चेनपुरावास पटवार हल्का इन्द्रगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि साबिक खसरा नं0 55 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि हाल नवीन खसरा नं0 97 रकबा 0.5400 हैक्टेयर अनुसार प्रार्थी के खातेदारी साबिक पूर्व खसरा नं0 91,92,93 अनुसार है। जो कि दौरानें चकबन्दी व हाल सैटलमेंट कार्यवाही में विवादित भूमि खसरा नं0 97 रकबा 0.54 हैक्टेयर का कायम हाल नवीन राजस्व नक्शे में साबिक पूर्व नक्शे के विरूद्ध त्रूटिपूर्ण तरमीम करते हुए, साबिक राजस्व नक्शा खसरा नं0 55 व उनके साबिक खसरा नं0 91,92,93 अनुसार विवादित भूमि में से पश्चिमी भाग की भूमि को हाल खसरा नं0 97 के राजस्व नक्शे में से कम करते हुए हाल नवीन खसरा नं0 98 के राजस्व नक्शे में शामिल कर दिया गया, जिसके अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं0 98 के नक्शे में शामिल तरमीम व प्रदर्शित होकर स्थित है, जबकि प्रार्थी साबिक राजस्व नक्शे अनुसार काबिज काश्तकार है, जिसका प्रार्थी अधिकारी है। उक्त वर्णितानुसार प्रार्थी के हाल खातेदारी खसरा नम्बर की पश्चिमी भाग की भूमि साबिक राजस्व नक्शा व प्रार्थी के कब्जे काश्त व मालिकाना स्वामित्व के कतई ही विपरित होकर त्रूटिपूर्ण तरमीम है। सैटलमेंट विभाग को उक्त प्रकार से त्रूटिपूर्ण तरमीम करने व प्रार्थी की भूमि को कम करने का अधिकार नहीं रहा है, जो कि साबिक राजस्व नक्शे अनुसार प्रार्थी वर्तमान नवीन राजस्व नक्शे को तरमीम कराने का अधिकारी है। जो कि प्रार्थी के हक अधिकारों के विरूद्ध प्रभाव शुन्य कार्यवाही है। प्रार्थी की भूमि के सम्बन्ध में कब्जे मौके व साबिक राजस्व नक्शे के विपरित त्रूटिपूर्ण तरमीम की तथाकथित कार्यवाही अधिकार क्षेत्र से बहार होने के कारण

उपखण्ड अधि

दुरूस्तनीय है तथा सलग्न नजरी नक्शे को मध्य नजर रखते हुए ग्राम चक चैनपुरावास साईवाड में स्थित विवादित खसरा नं0 97 रकबा 0.5400 हैक्टेयर के राजस्व नक्शे को साबिक खसरा नं0 55 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा के राजस्व नक्शे अनुसार पश्चिमी सीमा रेखा को कायम कर अनुसार हाल राजस्व नक्शे की तरमीम कायम करने के आदेश दिया जावे।

उक्त प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थी को सुनवाई हेतु तलब करने पर अप्रार्थी सं0 1 ने अपने अधीनस्थ पटवारी हल्का द्वारा प्रकरण में बिन्दूवार तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के नजरी नक्शा अनुसार प्रस्तावित शुद्धि हेतु कथन करते हुए जवाब रिपोर्ट तैयार कराते हुए दिनांक 12.02.2018 को न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा प्रस्तुत प्रकरण के अप्रार्थी सं0 1 ने जाहीर किया कि प्रार्थी के खातेदारी हाल खसरा नं0 97 एवं साबिक खसरा नं0 55 के राजस्व नक्शे में मुताबिक प्रकरण त्रूटिपूर्ण तरमीम हो रखी है। जो कि साबिक राजस्व नक्शे अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी ने हाजिर अदालत उपस्थित होकर उपरोक्त तथ्यों सहित कथन करते हुए कथित किया कि सलग्न नजरी नक्शे को मध्य नजर रखते हुए ग्राम चक चैनपुरावास साईवाड में स्थित विवादित खसरा नं0 97 रकबा 0.5400 हैक्टेयर के राजस्व नक्शे को साबिक खसरा नं0 55 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा के राजस्व नक्शे अनुसार पश्चिमी सीमा रेखा को कायम कर अनुसार हाल राजस्व नक्शे की तरमीम कायम करने के आदेश दिया जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा बहस सुनने व उक्त तथ्यों अनुसार पत्रावली में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बिन्दूवार रिपोर्ट सहित राजस्व रिकार्ड की जॉच व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तावित पर मनन करने व दस्तावेजात मय रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात हम इस नतीजे पर पंहुचते है, कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान खसरा नं0 97 के बनाये गये राजस्व नक्शे के अन्तर्गत पश्चिमी दिशा की ओर की भूमि साबिक राजस्व नक्शे के विपरित जाकर हाल खसरा नं0 98 के राजस्व नक्शे में शामिल करते हुए त्रूटिपूर्ण तरीके से तरमीम होना पाया जाता है, जबकि साबिक नक्शे अनुसार ही नवीन नक्शा कायम होना चाहिए था, जिससे विचाराधीन प्रकरण में न्याय की मंशा से निर्णित किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में ग्राम चक चैनपुरावास साईवाड में स्थित विवादित खसरा नं0 97 रकबा 0.5400 हैक्टेयर के राजस्व नक्शे में पश्चिमी सीमा रेखा को साबिक खसरा नं0 55 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा के राजस्व नक्शे अनुसार कायम करने व तदानुसार हाल नवीन खसरा नं0 98 के राजस्व नक्शे की तरमीम दुरूस्त फरमाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय जारी हो, भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर